

कायालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)-2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ न्यायालय/2019/ 4158

खण्डवा, दिनांक 31-12-19

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

पूर्व निमाड खण्डवा

विषय:- तहसील न्यायालय पुनासा में न्यायालय के विभिन्न अनुभागों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन हेतु ऑनलाईन प्रकिया किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 1835/चार-1-1/2017 खण्डवा दिनांक 16.12.2019

—000—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि तहसील न्यायालय पुनासा में न्यायालय के विभिन्न अनुभागों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन हेतु ऑनलाईन प्रकिया किये जाने के संबंध में वन प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. प्रस्तावित योजना का मौके पर स्पष्ट सीमांकन किया जावे।
2. प्रस्तावित योजना का संबंधित उपवनमण्डलाधिकारी से संयुक्त निरीक्षण कराया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
3. प्रस्तावित योजना की ईमेज (50KB से कम) जेपीईजी फाईल प्रस्तुत की जावे।
4. प्रकरण में पंजीयन राशि 5,000/- प्रोसेसिंग राशि 30,000/- इस प्रकार कुल राशि 35,000/- अक्षरी रूपये पैतीस हजार का बैंक ड्राफ्ट/चालान द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा के नाम से जमा करावे।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कराने का कष्ट करे, ताकि मेरे द्वारा संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(डी.एस.कनेश)

वनसंरक्षक

सामान्य वनमण्डल खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 31-12-19

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./न्यायालय/2019/ 4159

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर (वाचक शाखा) जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- उपवनमण्डलाधिकारी पुनासा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भाग- 2 में आवश्यक प्रविष्टि कराकर पूर्ण प्रस्ताव समय-सीमा में प्रस्तुत करावें।
- 4- परिक्षेत्राधिकारी पुनासा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रस्तावित योजना का निरीक्षण किया जाकर भाग -2 में आवश्यक प्रविष्टि कर प्रभावित वृक्षों का गणना पत्रक एवं मयमानचित्र प्रस्तावित योजना की ईमेज (50KB से कम) जेपीईजी फाईल एवं निरीक्षण चेक लिस्ट के साथ पूर्ण प्रस्ताव उपवनमण्डलाधिकारी के माध्यम से समय-सीमा में प्रस्तुत करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (अ.क. 3 एवं 4 हेतु)

वनसंरक्षक,

सामान्य वनमण्डल खण्डवा

841